तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज नरसिंहलाल जोशी बनाम लो.सू.अ.(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू. अ. अ. अपील सं. 79 / 2017	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मते जारी हुए
06.06.17	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी नरसिंहलाल जोशी पता मन्डोरिया गेट शिवनगर महामंदिर जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 17.03.2017 में उसके द्वारा (1) राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्र कमांक 1913 दिनांक 21.02.17 द्वारा श्री दाउलाल भार्गव भू–अभिलेख निरीक्षक तहसील जोधपुर के विरूद्ध शिकायत पर की गई कार्यवाही के सबंध मण्डल को भेजी गई रिपोर्ट की प्रतिलिपि व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 750 दिनांक 30.05.17 को रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें जाहिर किया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना भू–अभिलेख शाखा कार्यालय हाजा से संबंधित होने के कारण प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख शाखा को प्रार्थी को प्रार्थना–पत्र भिजवाया गया। भू–अभिलेख अनुभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 732 दिनांक 29. 05.17 द्वारा बिन्दुवार सूचना प्रेषित की जा चुकी है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को विलम्ब से वस्तुस्थिति से सूचित किया गया अतः इन्हें निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में ऐसे प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण समय पर करे। इस स्टेज पर अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश सुनाया गया। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।	